

न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला-जालोर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या -40/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दिनेश कुमार पुत्र भूराराम जाति सरगरा निवासी करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. अणदा पुत्र लखमा 2. कमला पुत्र समेला 3. करसन पुत्र समेला 4. गटा पुत्र चमना 5. चुनी पुत्री चमना पत्नि जोगा निवासी मेलडीमाता मन्दिर डीसा, गुजरात 6. चौपू पत्नि चमना के का.मू. वारीसान प्रतिवादी संख्या 9, 10, 16, 17, 19 7. जयन्ति लाल पुत्र छगनाराम 8. झुमी पुत्री समेला 9. झाला पुत्र समेला 10. ढेली पुत्री चमना 11. दाड़ी पुत्र चमना 12. धुखा पुत्र लखमा 13. मृ० धना पुत्र लखमा के का.मू. वारीसान 13/1 सूरज बेवा धना 13/2 हितेश पुत्र धना 13/3 माधु पुत्र धना 14. नरेश कुमार पुत्र छगना 15. पनाराम पुत्र हाजा 16. पवीदेवी पत्नि छगना 17. वादली पुत्री चमना 18. बाबू पुत्र चमना 19. भूदरा पुत्र हाजा 20. भूरी पुत्री चमना 21. भीमा पुत्री लखमा 22. मंजु पुत्री चमना 23. मणिदेवी पत्नि समेला 24. मूली पुत्री समेला 25. मसरा पुत्र हाजा 26. मिन्द्रा पुत्री समेला 27. मोहनलाल पुत्र समेला 28. रमकु पुत्री समेला 29. रमेश कुमार पुत्र हाजा 30. रविदास पुत्र समेला 31. रामचन्द्र पुत्र समेला 32. लालाराम पुत्र समेला 33. श्रवण कुमार पुत्र छगनाराम 34. सुखी पुत्री लखमा 35. सणगारी देवी पत्नि हाजा 36. सती पुत्री समेला 37. सदा उर्फ घेवरचन्द्र पुत्र लखमा समस्त जातियान मेघवाल निवासीगण करडा तहसील रानीवाडा 38. श्रीमान उपपंजीयक रानीवाडा 39. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादी अधिवक्ता श्री रमेश कुमार गर्ग
2. प्रतिवादी संख्या 15, 29 से 31 की ओर से वकील श्री भोपालसिंह राठौड।
3. प्रतिवादी संख्या 39 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

-: निर्णय :-

दिनांक 22.12.2021

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 38 की खातेदारी आराजी सामलाती एवं सरहद मौजा करडा में आई हुई है जिनके खसरा नम्बर 953 रकबा 3.70 हेक्टेयर है वर्तमान जमाबंदी में प्रत्येक खातेदार के हिस्से को दर्शाया गया है। वादी का हिस्सा 8/185 हेक्टेयर है। उक्त आराजी का मौखिक बंटवाडा आज से 7 साल पहले अर्थात् 2014 में हो चुका था, खातेदारी आराजी गांव से करीब 1 किमी दुर करडा से कोडका जाने वाली मुख्य पक्की सडक पर स्थित है। वादी ने उक्त आराजी में चार दीवारी तथा दरवाजा भी लगाया है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा नही होने से वादी को काश्त करने इत्यादि में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः मौखिक बंटवाडे के आधार पर वादी का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना विधिवत एवं न्यायोचित है। वादी ने अपने हिस्से का समतल बनया है उस पर चार दीवारी निर्माण कार्य भी करवाया है, जब वादी ने प्रतिवादीगणों से उक्त खातेदारी आराजी का विधिवत सहमति से बंटवाडा करने का कहा तो वे आनाकानी करने लगे तथा कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने की धमकी भी देने लगे तब वादी ने उनको समाज के प्रबुद्ध नगरिकों के द्वारा समझाइश की भी लेकिन वे नहीं माने अतः एकमात्र बंटवाडा ही अंतिम विकल्प रह गया है। अतः श्रीमानजी के समक्ष दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जा रहा है।
2. विनायवाद दावा तब उत्पन्न हुआ जब वादी ने आज से 1 माह पूर्व प्रतिवादीगणों को सहमति से बंटवाडा करने को कहा तथा मौखिक बंटवाडे के आधार पर अपना हिस्सा देने को कहा तो वे आनाकानी करने लगे तथा कब्जासुदा आराजी को हडपने की धमकी दी तब से वादकरण निरन्तर जारी है। अतः निवेदन है कि सरहद मौजा करडा के खसरा नम्बर 953 रकबा 3.70 हेक्टेयर में राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी के 8/185 हिस्से को मौखिक बंट के आधार पर कब्जा काश्त की स्थिति को देखते हुए राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगणों से अलग से खातेदारी आराजी की अमलदरामदगी तथा वर्तमान चालु नक्शा ट्रेस मे नवीन खसरा नम्बर कायम करते हुए वादी की खातेदारी को प्रतिवादीगणों से अलग दर्शाई जावे, अर्थात् दर्शाने की तहरीर भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा के नाम जारी करावे। व अलग से खातेदारी दर्शाने के पश्चात प्रतिवादीगण न तो खुद दखलंदाजी करे तथा न ही अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी करावे।
3. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7 से 14, 16 से 28, 32 से 37 की ओर से बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 39 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित। तथा प्रतिवादी संख्या 15, 29 से 31 की ओर से अधिवक्ता श्री भोपालसिंह राठौड द्वारा ईकबालिया जवाब पेश किया गया।

4. दिनांक 25.11.2021 को न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के निवेदन पर खातेदारों के हक हिस्से अनुसार मौजा करडा के खसरा नम्बर 953 रकबा 3.70 हेक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/883 दिनांक 06.12.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/कोर्ट/2021/1244 दिनांक 10.12.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।
5. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 37 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	लगान राशि
1.	दिनेश कुमार पुत्र भूराराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार	953	3.70	0.16	चाही प्रथम	5.28
2.	अणदा पुत्र लखमा हिस्सा 185/4248, कमला पुत्री समेला हिस्सा 185/8496, करसनराम पुत्र समेला हिस्सा 185/8496, गटा पुत्र चमना हिस्सा 185/7080, नाबालिग चुनी पुत्री चमना संरक्षक माता चोपू हिस्सा 185/7080, चोपू पत्नि चमना हिस्सा 185/7080, जयन्तीलाल पुत्र छगनाराम हिस्सा 1887/209568, झुमी पुत्री समेला हिस्सा 185/8496, झाला पुत्र चमना हिस्सा 185/7080, ना.बा. डेली पुत्री चमना हिस्सा 185/7080, ना.बा. दाड़ी पुत्री चमना हिस्सा 185/7080, धुखा पुत्र लखमा हिस्सा 185/4248, धना पुत्र लखमा हिस्सा 185/4248, नरेश कुमार पुत्र छगनाराम हिस्सा 1887/209568, पनाराम पुत्र हाजा हिस्सा 1887/52392, पवीदेवी पत्नि छगनाराम हिस्सा 1887/209568, बादली पुत्री चमना हिस्सा 185/7080,	953	3.70	2.04 1.50	चाही प्रथम जाव प्रथम	67.32 13.50

<p>बाबू पुत्र चमना हिस्सा 185/7080, भूदराराम पुत्र हाजा हिस्सा 1887/52392, भूरी पुत्री चमना हिस्सा 185/7080, भीमा पुत्र लखमा हिस्सा 185/4248, ना.बा. मंजू पुत्री चमना हिस्सा 185/7080, मणीदेवी पत्नि समेला हिस्सा 185/8496, मूलाराम पुत्र समेला हिस्सा 185/8496, मसराराम पुत्र हाजा हिस्सा 1887/52392, मिन्द्रा पुत्री समेला हिस्सा 185/8496, मोहनलाल पुत्र समेला हिस्सा 185/8496, रमकू पुत्री समेला हिस्सा 185/8496, रमेशकुमार पुत्र हाजा हिस्सा 1887/52392, रवीदास पुत्र समेला हिस्सा 185/8496, रामचन्द्र पुत्र समेला हिस्सा 185/8496, लालाराम पुत्र समेला हिस्सा 185/8496, श्रवणकुमार पुत्र छगनाराम हिस्सा 1887/209568, सुखी पत्नि लखमा हिस्सा 185/4248, सणगारी देवी पत्नि हाजा हिस्सा 1887/52392, सती पुत्री समेला हिस्सा 185/8496, सदा पुत्र लखमा हिस्सा 185/4248 समस्त जातियान मेघवाल सा. देह खातेदार</p>					
---	--	--	--	--	--

6. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 37 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 37 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला—जालोर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दिनेश कुमार पुत्र भूराराम जाति सरगरा निवासी करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. अणदा पुत्र लखमा 2. कमला पुत्र समेला 3. करसन पुत्र समेला 4. गटा पुत्र चमना 5. चुनी पुत्री चमना पत्नि जोगा निवासी मेलडीमाता मन्दिर डीसा, गुजरात 6. चौपू पत्नि चमना के का.मू. वारीसान प्रतिवादी संख्या 9, 10, 16, 17, 19 7. जयन्ति लाल पुत्र छगनाराम 8. झुमी पुत्री समेला 9. झाला पुत्र समेला 10. ढेली पुत्री चमना 11. दाड़ी पुत्र चमना 12. धुखा पुत्र लखमा 13. मू0 धना पुत्र लखमा के का.मू. वारीसान 13/1 सूरज बेवा धना 13/2 हितेश पुत्र धना 13/3 माधु पुत्र धना 14. नरेश कुमार पुत्र छगना 15. पनाराम पुत्र हाजा 16. पवीदेवी पत्नि छगना 17. वादली पुत्री चमना 18. बाबू पुत्र चमना 19. भूदरा पुत्र हाजा 20. भूरी पुत्री चमना 21. भीमा पुत्री लखमा 22. मंजु पुत्री चमना 23. मणिदेवी पत्नि समेला 24. मूली पुत्री समेला 25. मसरा पुत्र हाजा 26. मिन्द्रा पुत्री समेला 27. मोहनलाल पुत्र समेला 28. रमकु पुत्री समेला 29. रमेश कुमार पुत्र हाजा 30. रविदास पुत्र समेला 31. रामचन्द्र पुत्र समेला 32. लालाराम पुत्र समेला 33. श्रवण कुमार पुत्र छगनाराम 34. सुखी पुत्री लखमा 35. सणगारी देवी पत्नि हाजा 36. सती पुत्री समेला 37. सदा उर्फ घेवरचन्द पुत्र लखमा समस्त जातियान मेघवाल निवासीगण करडा तहसील रानीवाडा 38. श्रीमान उपपंजीयक रानीवाडा 39. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 40/2021

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री रमेश कुमार गर्ग उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 15, 29 से 31 की ओर वकील श्री भोपालसिंह राडौड प्रतिवादी संख्या 39 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 से 5, 7 से 14, 16 से 28, 32 से 37 अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर

हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 37 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्ट0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	लगान राशि
1.	दिनेश कुमार पुत्र भूराराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार	953	3.70	0.16	चाही प्रथम	5.28
2.	अणदा पुत्र लखमा हिस्सा 185/4248, कमला पुत्री समेला हिस्सा 185/8496, करसनराम पुत्र समेला हिस्सा 185/8496, गटा पुत्र चमना हिस्सा 185/7080, नाबालिग चुनी पुत्री चमना संरक्षक माता चोपू हिस्सा 185/7080, चोपू पत्नि चमना हिस्सा 185/7080, जयन्तीलाल पुत्र छगनाराम हिस्सा 1887/209568, झुमी पुत्री समेला हिस्सा 185/8496, झाला पुत्र चमना हिस्सा 185/7080, ना.बा. डेली पुत्री चमना हिस्सा 185/7080, ना.बा. दाड़ी पुत्री चमना हिस्सा 185/7080, धुखा पुत्र लखमा हिस्सा 185/4248, धना पुत्र लखमा हिस्सा 185/4248, नरेश कुमार पुत्र छगनाराम हिस्सा 1887/209568, पनाराम पुत्र हाजा हिस्सा 1887/52392, पवीदेवी पत्नि छगनाराम हिस्सा 1887/209568, बादली पुत्री चमना हिस्सा 185/7080, बाबू पुत्र चमना हिस्सा 185/7080, भूदराराम पुत्र हाजा हिस्सा 1887/52392, भूरी पुत्री चमना हिस्सा 185/7080, भीमा पुत्र लखमा हिस्सा 185/4248, ना.बा. मंजू पुत्री चमना हिस्सा 185/7080, मणीदेवी पत्नि समेला हिस्सा 185/8496, मूलाराम पुत्र समेला हिस्सा 185/8496, मसराराम पुत्र हाजा हिस्सा 1887/52392, मिन्द्रा पुत्री समेला हिस्सा 185/8496, मोहनलाल पुत्र समेला हिस्सा 185/8496, रमकू पुत्री समेला हिस्सा 185/8496, रमेशकुमार पुत्र हाजा हिस्सा 1887/52392, रवीदास पुत्र समेला हिस्सा 185/8496, रामचन्द्र पुत्र समेला हिस्सा 185/8496, लालाराम पुत्र समेला हिस्सा 185/8496, श्रवणकुमार पुत्र छगनाराम हिस्सा 1887/209568, सुखी पत्नि लखमा हिस्सा 185/4248, सणगारी देवी पत्नि हाजा हिस्सा 1887/52392, सती पुत्री समेला हिस्सा 185/8496, सदा पुत्र लखमा हिस्सा 185/4248 समस्त जातियान मेघवाल सा. देह खातेदार	953	3.70	2.04	चाही प्रथम	67.32
				1.50	जाव प्रथम	13.50

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 37 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 37 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22.12.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	2	00